प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1040 - परिशिष्ट - [27/3/2018]

परिशिष्ट ' आठ '

प्रश्न सं. [क्र. 1040]

बैठक दिनांक 27/02/2018 सदस्य– श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी

थाना सनावद द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी

: : कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला खरगोन (म.प्र.) : :

क्रमांक/पुअ/खर/ओएम/वि.स. बजट सत्र–18/71/18 दिनांक 14/03/18

प्रति,

(1) आयुक्त,
सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ,
म.प्र., विंध्याचल भवन, भोपाल

(2) संयुक्त आयुक्त,
सहकारिता, इंदौर संभाग, इंदौर

विषय :– विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1040 प्रेषक मान.विधायक श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में।

संदर्भ :– 1. आपका पत्र क्र./विविध शाखा/02/2018/26 भोपाल दिनांक 08.03.18
2. आपका पत्र क्र./विधान सभा/2018/616 (अ) इंदौर दिनांक 09.03.18

❀❀❀❀❀

उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित पत्र द्वारा विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1040 के संबंध में इस इकाई से चाही गई बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार सादर प्रेषित है:–

24
15-3-18

बिन्दू	प्रश्न	उत्तर
क	अवंति मिल वर्कर्स इंडस्ट्रियल को. आप. सोसायटी लिमिटेड सनावद के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक के विरूद्ध सहकारिता विभाग के संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा क्या जांच की गई थी? यदि हां तो क्या जांच प्रतिवेदन में हुये आर्थिक अनियमितता के संबंध में नगर सनावद के थाने पर दर्ज प्राथमिकी पर थाना सनावद द्वारा प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई?	अवंति मिल वर्कर्स इंडस्ट्रियल को. आप. सोसायटी लिमिटेड सनावद के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक के विरूद्ध सहकारिता विभाग के संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी (संयुक्त आयुक्त सहकारिता उज्जैन संभाग उज्जैन) द्वारा जांच की गई थी। दिनांक 11.3.16 को संयुक्त आयुक्त सहकारिता इंदौर संभाग इंदौर के श्री जगदीश कनौजे द्वारा अवंति सूत मिल सनावद के पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध संचालक राजेन्द्र साकलिया के विरूद्ध सूतमिल में किये गये आर्थिक अनियमित्ता व आर्थिक अपराध के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने मय लेखी रिपोर्ट के उप अंकेक्षक भूषण जडे पिता पुरूषोत्तम जडे, सहकारिता विभाग जिला खरगोन को भेजा जाने पर, थाना सनावद पर राजेन्द्र साकलिया के विरूद्ध अपराध क्रमांक 129/16 धारा 409,420,467,468,471 भादवि का पंजीबद्ध किया गया है। उक्त अपराध विवेचना के बाद आरोपी राजेन्द्र साकलिया के विरूद्ध दिनांक 27.06.16 को फरियादी काशीराम अवासे, अंकेक्षण अधिकारी सहकारिता जिला खरगोन द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान जिला सहकारी बैंक सनावद में प्लेज में रखी रूई की गठानों में से 2901 गठाने कम पाई जाने (जिसका मुल्य 5,45,67,810 रूपये) कि शिकायत पत्र जॉच पर से तत्का.प्रबंध संचालक राजेन्द्र साकलिया के विरूद्ध अप.क्र.310/16 धारा 409,420,465,467,468,471 भादवि पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी विवेचना जारी है।
ख	नगर सनावद थाना में प्राथमिकी करने पर अभी तक थाना सनावद द्वारा क्या कार्यवाही की गई? उसकी विस्तृत जानकारी देवें।	प्रकरण के विवेचक थाना प्रभारी सनावद निरीक्षक विनोद सोनी द्वारा प्रकरण में साक्षी अनिल कानूनगो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या. खरगोन के कथन लिये तथा बैंक का लोन स्वीकृत बैठक संबंधी रिकार्ड जप्त कर सत्यापित छायाप्रति ली गई है। साक्षी कल्याण व तरूण को हिदायत एवं धर्मेन्द्र मित्तल को रिकार्ड प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई है। साक्षी आशीष सेठिया के कथन लेकर बैंलेंस शीट कर्मचारीयों को नियुक्ति प्रमाण पत्र जप्त किये गये। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा संनावद के पूर्व प्रबंधक काल सिंह चौहान एवं कल्याण से लोन स्वीकृति

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

अपर आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

		रिकार्ड की छायाप्रति जप्त की गई है। सीए ललित खत्री द्वारा केस बुक, लेजर बुक, वर्ष 2012 से 2015 तक की छायाप्रति एंव लोन के प्रथम, द्वितिय व तृतीय चरण की छायाप्रति प्राप्त की गई है। साक्षी विजय गुप्ता एवं चंद्रप्रकाश नागर के कथन लिये गये है जिन्होने की गई शिकायत के तथ्यों की पुष्टी की है। दिनांक 6.5.16 को आरोपी राजेन्द्र साकलिया पिता हजारी लाल साकलिया प्रबंध संचालक अवंति सूतमिल को गिरफ्तार कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमो लेकर रिकार्ड जप्ती आरोपी से सूतमिल कार्यालय से अंशधारियों का खाता व बैंक के दस्तावेज व सदस्यता पूंजी जप्त की गई है। आरोपी की सपंत्ति के कागजात जप्त किये गये। आरोपी का पुलिस रिमांड प्राप्त कर विवेचना के संबंध में पूछताछ की गई। पश्चात आरोपी को दिनांक 28.5.16 को मान. न्यायालय सनावद पेश किया जाकर जेल वारंट प्राप्त होने से बड़वाह जेल दाखिल किया गया था। प्रकरण में साक्षी व्ही.पी मारण तथा जगदीश कनौजे के कथन भी लिये गये है। प्रकरण दोनों विस्तृत स्वरूप के होने से आगामी अनुसंधान ई.ओ. डब्ल्यू. से कराये जाने हेतु दोनों प्रकरणों की केस डायरियॉ दिनांक 10.10.16 को ई.ओ.डब्ल्यू भोपाल जमा कराई गई थी जिन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से नहीं भेजा जाने के कारण दिनांक 17.11.16 को थाना सनावद को वापस प्रदाय किया गया। तदुपरांत प्रकरण की दोनों डायरियॉ सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से ई.ओ.डब्ल्यू. को भेजने हेतु जिला दण्डाधिकारी, खरगोन कार्यालय में दिनांक 24.12.16 को जमा कराई गई। जिन्हें जिला दण्डाधिकारी खरगोन द्वारा आरोपी शासकीय सेवक नहीं होने से दिनांक 04.10.17 को आगामी विवेचना हेतु इस कार्यालय को वापस किया गया। इस दौरान अपराध क्र 129/16 में दिनांक 13.10.16 तक आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में 90 दिन की अवधि पूर्ण होने से आरोपी को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बड़वाह द्वारा जमानत स्वीकार की जाने पर रिहा किया गया। प्रकरण की आगामी विवेचना में (1) संयुक्त आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन (2) प्रबंधक संचालक, अवंति सूल मिल को–ऑप.सोसा.लि. सनावद (3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी बैंक मर्यादित खरगोन तथा (4) जिला कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगोन, मुख्यालय खरगोन को धारा 91 द.प्र.सं.के नोटिस जारी कर, प्रकरण से संबंधित जानकारी चाही गई है। जानकारी प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
ग	क्या उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां तो क्यों यदि हां तो जानकारी देवें?	प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की गई है।

(कल्याण चक्रवर्ती)
पुलिस अधीक्षक, खरगोन

प्रतिलिपि :–1. अति.पुलिस महानिदेशक इन्दौर झोन इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप पुलिस महानिरीक्षक, निमाड़ रेंज खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(कल्याण चक्रवर्ती)
पुलिस अधीक्षक, खरगोन

अपर आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

अनुभाग अधिका
म० प्र० शासन
सहकारिता विभ